

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

क्र. 119 फर्द अहकाम N/0 3532 27-9-18

फर्द अहकाम नं. 119 न्यायपालिका ऐन 1999

1/18

बाजसह दावा वादी की ओर से श्री सुनील कुमार जिंदल ने पेश किया रिपोर्ट ली गई। दर्ज एजिस्ट्रार लेकर प्रतिवादी को नोटिस जारी हो पत्रावली दि. 9-10-18 को पेश हो।

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

8-10-18

वादी वकील उप. प्रतिवादी की ओर से श्री सुरेश चंद्र शर्मा ने वकालतनामा व जखब पेश किया। 8-10-18 चुनाव कार्य में स्पष्ट ही आइन्दा दि. 26-11-18 को पेश हो।

26-11-18

वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी चुनाव प्रीटिंग में करौली है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 21-1-19 को पेश हो।

21-1-19

वकूलाय उप. तनकी कायम कले दिनांक 8-2-19 को पेश हो।

8-2-19

वकूलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी कानून व्यवस्था में स्पष्ट है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक 12-2-19 को पेश हो।

12-2-19

पत्रावली पेश हुई। बार की ओर से काय स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी कानून व्यवस्था में स्पष्ट है। गतानुसार दिनांक 18-2-19 को पेश हो।

न्यायालय उप जिला कलक्टर टोडा

फर्द अहकाम

दिनांक	
18-2-19	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। पीठासन अधिकारी <u>खान काशी</u> के गतानुसार दिनांक <u>21-2-19</u> को पेश हो।
26-2-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी <u>दयानांतरणाधीन</u> है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>6-3-19</u> को पेश हो।
6-3-19	वकुलाय उपर/ तनवीपाल कोष में दिनांक 28-3-19 को पेश हो।
28-3-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी <u>युनाय कार्पिसी अग्रण</u> पर पधार है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>8-4-19</u> को पेश हो।
8-4-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी <u>युनाय कार्पिसी</u> में <u>ठयस्त</u> है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>26-4-19</u> को पेश हो।
26-4-19	वकुलाय उपस्थित/पीठासन अधिकारी <u>युनाय कार्पिसी</u> को <u>पेश</u> है। अतः पत्रावली गतानुसार दिनांक <u>9-5-19</u> को पेश हो।
9-5-19	वकुलाय उपर/ तनवीपाल स्पष्ट की जाती है। वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 17-5-19 को पेश हो।
17-5-19	पत्रावली पेश हुई। वार की ओर से कार्य स्थगन रखा गया है। गतानुसार दिनांक <u>27-5-19</u> को पेश हो।

प्रायालय उप जिला कलक्टर टोडाभीम

फर्द अहकाम

27.5.19 वकूलाय उपन/ वादी साक्ष्य पेश करने समय कहा/ समय दिन गमन/ वादी साक्ष्य पेश करने दिनांक 30.5.19 को पेश हो।

[Signature]

Not Press

30.5.19

वकील उग्रपक्ष उपस्थित/ वादी कन्हेयालास उपन/ वादी ने मुकदमा झूठे नहीं चलोये जोसे का कथन/ आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। अतः यह दारा Not Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फौजदारी नुमांर होकर नम्बर से कम होकर दारालास दफ्तर है। *[Signature]*

उपजिला कलक्टर
टोडाभीम (करौली)

[Signature]
[Signature]

[Signature]
[Signature]